

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड

राजस्व आसूचना निदेशालय

अधिसूचना सं. 45/2020-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि)

नई दिल्ली, 17.09.2020

का.आ. (अ). भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 152 के अनुच्छेद (ए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. 60/2015-सीमा शुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि. 453(ई), दिनांक 04 जून 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित एवं यथा अधिसूचना सं. 133/2015-सीमा शुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि. 916(ई), दिनांक 30 नवम्बर 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित केद्वारा संशोधित, के अनुसरण में प्रधान महानिदेशक राजस्व आसूचना एतद्वारा अधिसूचना सं. 31/2020-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि) दिनांक 31.07.2020, का.आ. 2628 (अ) दिनांक 06.08.2020, अधिसूचना सं. 37/2020-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि) दिनांक 20.08.2020, का.आ. 2892 (अ) दिनांक 27.08.2020 द्वारा प्रकाशित के साथ पठनीय, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

उपरोक्त अधिसूचना की तालिका के क्रम सं.2 के स्तंभ सं.2 और 3 में मौजूद प्रविष्टियों को "श्री गणेश एक्सिम, लक्ष्मी प्रेमिसेस, श्री गणेश इंडस्ट्रीज के पीछे, लक्ष्मीपुरा विल्लेज, चल्लाकेर, चित्रदुर्ग-577522 और 4 अन्य" और "फा सं. DRI/BZU/MRU/1/ENQ-03(INT-04)/2019 दिनांक 22.05.2020 दिनांक 26.07.2020 के पत्र के साथ पठनीय" से क्रमश प्रतिस्थापित कर दिया जाए।

[फा. सं.DRI/HQ-CI/50D/CAA-17/2020]

(जसप्रीत सिंह सुखीजा)

संयुक्त निदेशक

प्रतिलिपि सूचना एवं रिकॉर्ड के अद्यतन हेतु प्रेषित

1. प्रधान आयुक्त/आयुक्त सीमा शुल्क, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, बेंगलोर
2. प्रधान अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, बेंगलोर को इस अनुरोध के साथ कि नोटिसियों को इस अधिसूचना के संदर्भ में सूचित करें।